यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/113/2017 **दिनांक :** 12.12.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वित्तीय समाधान तथा जमा बीमा विधेयक (एफआरडीआई विधेयक)

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र दिनांक 11.12.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

- **सरकार को एफआरडीआई विधेयक के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए**
- **यह गलत समय पर है और भारत में अनुचित है**
- **बैंकों को सुदृढ़ करें - परिसमापन नियमों की बात न करें**
- **सरकार को बैंकों में सम्पूर्ण जमाओं की गारंटी देनी चाहिए और लोगों तथा ग्राहकों के मध्य बेचैनी को रोकना चाहिए**

मंत्रिमण्डल ने **एफआरडीआई विधेयक (वित्तीय समाधान तथा जमा बीमा विधेयक)** को मंजूरी दी और उसके बाद विधेयक को अन्तिम सत्र के आखिरी दिन संसद में पेश किया गया था और अब विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है।

इस विधेयक ने जमाकर्ताओं के बीच व्यापक भय, आशंका और बैचेनी पैदा कर दी है कि सरकार बैंकों को समाप्त करने पर विचार कर रही है और बैंकों की जमाओं को विधेयक के बेल–इन वाक्यांश के कारण वापस नहीं लौटाया जायेगा।

पृष्ठभूमि : संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में 2008 में वित्तीय क्षेत्र संकट के मद्देनजर, जब उनकी सरकारों को करदाताओं के धन के साथ कई विफल हुए बैंकों को बेल–आउट करना था, 2009 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड अस्तित्व में आया जिसके समूह–20 देश सदस्य हैं। एफएसबी बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से निपटने के लिए ढांचा नीतियां तथा दिशानिर्देश बना रहा है उनकी विफलताओं की स्थिति में। भारत भी समूह–20 तथा इस एफएसबी का एक हिस्सा है।

उनके दिशानिर्देशों के आधार पर, भारत में विशेष कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और इस मुद्दे को पहली बार अपने 2016–17 बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा कार्रवाई के लिए लाया गया।

मार्च 2016 में, विधेयक का प्रारूप तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, अजय त्यागी, अपर सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। वित्तीय समाधान तथा जमा

जारी पृष्ठ 2

बीमा विधेयक 2017 का प्रारूप इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार किया गया था। सुझावों पर विचार करने के बाद, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने संसद में एफआरडीआई विधेयक 2017 को पेश करने की मंजूरी दी।

नया एफआरसी : विधेयक एक नया प्राधिकरण **वित्तीय समाधान निगम** स्थापित करने का प्रावधान करता है जो बैंक बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के परिसमापन तथा समाधान को निपटायेगा।

यह एफआरसी वर्तमान समस्याओं से निपटने वाली आरबीआई तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारों का अधिक्रमण करेगा। जमा बीमा निगम प्रति ग्राहक रू0 1 लाख तक की जमा की गारंटी देता है। यह बंद हो जाएगा और अब एफआरसी राशि तय करेगा।

यहां तक कि प्रति ग्राहक रू0 1 लाख तक की सीमा का अब कोई अर्थ नहीं है। इसे 1993 में तय किया गया था। आज 2125 वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक आदि जमा बीमा निगम के अन्तर्गत शामिल हैं जिसमें रू0 103 लाख करोड़ की कुल जमाराशि है। इसमें से, वर्तमान योजना के अन्तर्गत प्रति ग्राहक रू0 1 लाख की सीमा के साथ, केवल रू0 30 लाख करोड़ बीमा के अन्तर्गत आते हैं। शेष जमाराशि आज भी शामिल नहीं है।

बैंकों की सम्पूर्ण जमाओं को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि भारत जैसे देश में, आम लोग अपनी कठिनाई से अर्जित बचतों को सुरक्षित महसूस करें और उनकी जमाओं को कोई खतरा न हो।

इसके बजाय, एफआरडीआई विधेयक रू0 1 लाख की मौजूदा सीमा को भी हटाने की बात कर रहा है। सरकार को लोगों को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए।

इसके अलावा, एफआरसी को किसी भी बैंक को समाप्त करने का अधिकार है। **एफआरसी बैंक के बेल–इन के लिए जमाकर्ताओं के धन का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। यह प्रावधान हर किसी के मन में संदेह तथा बेचैनी पैदा कर रहा है।**

बैंकों की बन्दी : 1913 से 1960 के मध्य भारत में, लगभग 1600 निजी बैंक विफल हुए, तथा बन्द हो गए। जमाकर्ताओं ने बैंकों में रखे हुए अपने सारे धन को गंवा दिया।

इसलिए एआईबीईए ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और 1960 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसके द्वारा किसी बैंक के विफल होने पर अधिस्थगन पर रखा जायेगा और दूसरे बैंक के साथ विलय कर दिया जायेगा। इसीलिए तब से, पिछले 55 वर्षों से अधिक में, हालांकि कई निजी बैंकों को परिसमापन का सामना करना पड़ा, इन सभी बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय कर दिया गया और तब से किसी भी बैंक को समाप्त नहीं किया गया। किसी जमाकर्ता ने अपना धन को नहीं गंवाया।

(पिछले 50 वर्षों के दौरान विफल हुए बैंक लेकिन अन्य बैंकों के साथ विलय किया गया) : बैंक ऑफ बिहार, बेलगाम बैंक, लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक, मिराज स्टेट बैंक, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक, ट्रेडर्स बैंक, बैंक ऑफ तमिलनाड, बैंक ऑफ थंजावुर, परूर सेण्ट्रल बैंक, पूर्वांचल बैंक, बैंक ऑफ कराड, काशीनाथ सेठ बैंक, बरेली बैंक, सिक्किम बैंक, बनारस स्टेट बैंक, नेदुंगदी बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक, आदि)

ये सभी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित थे और अन्य बैंकों के साथ विलय कर दिए गए और इसलिए उनकी विफलता के कारण लोगों को एक रूपया भी नहीं गंवाना पड़ा।

इसलिए जमाकर्ताओं को बैंकों में अपने पैसों की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

यह अफसोस की बात है कि ऐसे समय पर जब कि आम लोग बड़े खराब ऋणों तथा इसके फलस्वरूप बट्टे खाते डालने, राजस्व के नुकसान, बैंकों द्वारा किए जाने वाले नुकसान आदि के कारण बैंकों में अपने धन के बारे में पहले से ही चिंतित हैं, बैंकों में रखे उनके धन की सुरक्षा के बारे में लोगों को आश्वस्त करने के बजाय, सरकार ने इस एफआरडीआई विधेयक को लाना चुना है जो बैंकों के संभावित परिसमापन से सम्बन्धित है।

जारी पृष्ठ 3

हमारे बैंक विशाल सार्वजनिक धन के साथ व्यवहार करते हैं और आज बैंकों में कुल जमा रू0 106 लाख करोड़ से अधिक है। अमेरिकी और अन्य पश्चिमी बैंकों के विपरीत जो शेयर–धारकों और निवेशकों के धन के साथ चलते हैं, भारत में बैंक जमाओं के रूप में रखे हुए लोगों की कठिनाई से अर्जित बचतों के साथ चलते हैं। इसलिए लोगों के धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों और अन्य प्रमुख चूककर्ताओं से बड़े खराब ऋणों को वसूल करने के कठोर उपाय करने और बैंकों को सुदृढ़ करने के बजाय, सरकार आईएमएफ को उपकृत करने और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दबाव के सामने झुकने के लिए इस एफआरडीआई विधेयक को ला रही है। यह कार्य उन देशों के लिए जरूरी हैं जहाँ बैंक निजी हाथों में हैं और जहां उदारीकरण पर बैंकों के नियम हैं।

भारत में, हमारे बैंक हमारे मजबूत नियमों के कारण सुरक्षित हैं और अधिकांशतः, हमारे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जो सरकार की संप्रभुता गारंटी का आनन्द ले रहे हैं।

इसलिए हमारे बैंकों के परिसमापन का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता और इसलिए बेल–इन की कोई आवश्यकता अथवा गुंजाईश नहीं है। अतः पूरा एफआरडीआई विधेयक भारतीय संदर्भ में गलत है और गलत समय पर है। भारत के लिए, एफआरडीआई अधिनियम अनुचित है। सरकार को पूरे विधेयक पर पुर्नविचार और स्थगित करना चाहिए और भारत के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि बैंकों में उनका पैसा सरकार द्वारा पूरी तरह सुरक्षित और प्रत्याभूत है। उन्हें खराब ऋणों को वसूली के लिए कठोर उपाय करने चाहिए और हमारे बैंकों को और अधिक व्यवहार्य तथा जीवंत बनाना चाहिए।

यह एक विडंबना है कि हमारी सरकार निजीकरण की ओर हमारे बैंकों को धकेल रही है, इस प्रकार जोखिम बढ़ाती है और फिर परिसमापन पर बेल–इन की बात करती है।

बल्कि, सरकार को सभी बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिए। सरकार को खराब ऋणों को वसूल करना और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करना चाहिए तथा लोगों की जमाओं के लिए पूरी गारंटी देनी चाहिए।

यह अजीब बात है कि सरकार लोगों के लिए सबको विकास और समृद्धि की बात करती है जो केवल तभी संभव है जब बैंक अर्थव्यवस्था तथा लोगों के सभी जरूरतमंद वर्ग को अधिक से अधिक ऋण दें। इसके लिए, बैंकों को संसाधनों की जरूरत है और लोगों की जमाराशियां बैंकों का मुख्य संसाधन हैं। लेकिन सरकार बेल–इन वाक्यांश के साथ एफआरडीआई विधेयक ला रही है और लोगों के बीच बेचैनी उत्पन्न कर रही है जो उन्हें बैंकों से दूर ले जायेगा और बैंकों को अव्यवहारिक बना देगा।

लोगों की बैचेनी और डर को रोकना चाहिए और हमारे बैंकों को कमजोर करने की सरकार की गलत नीति के विरूद्ध संघर्ष करना चाहिए।

एआईबीईए पहले ही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है और उनसे विधेयक को खारिज करने का अनुरोध किया है।

ऑल इण्डिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन इस अनुचित एफआरडीआई विधेयक के विरूद्ध हड़ताल की कार्रवाई पर विचार कर रही है, यदि सरकार आगे बढ़ती है तो।

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री